




GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



Off.: Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253

कार्यालय: शिक्षा सदन, सेक्टर 5 पंचकुला-134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्स: 91 (0172) 2560253

e-mail: edusecondaryhry@gmail.com - site: www.schooleducationharyana.gov.in

ORDER NO. 20/126-2019 PGT-II (6)

DATED, PANCHKULA 26.08.2021

Smt. Samta Katyal, PGT Hindi, Govt. High School, Kankrola (Gurugram) is hereby granted Child Care Leave w.e.f. **17.08.2021** to **12.11.2021 (88 Days)** as per Haryana Civil Services (Leave) Rules, 2016.

J. GANESAN, IAS
DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA PANCHKULA

ENDST. NO. EVEN

DATED, PANCHKULA THE

27/8/21

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. District Education Officer, **Gurugram** w.r.t. their letter No. E-2/2021/2198 dated 27.07.2021.
2. Principal concerned.
3. Official concerned.
4. IT Cell (Local) for uploading the orders on office website.

Dy. Superintendent PGT-II
for Director Secondary Education,
Haryana, Panchkula

E:\Singla Office\Sanction\CCL Sanction 2021.docx

Office: Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253

कार्यालय: शिक्षा सदन, सेक्टर 5 पंचकुला-134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्स: 91 (0172) 2560253



**OFFICE OF DIRECTOR SECONDARY EDUCATION, HARYANA,
PANCHKULA**

ORDER NO. 20/118-2021 PGT-II(7) DATED, PANCHKULA THE 26.08.2021

Smt. Neelam, PGT Punjabi, Govt. Sr. Sec. School, Sector-6,
Panchkula is hereby granted Child Care Leave w.e.f. 15.08.2021 to
02.11.2021 (80 days) as per Haryana Civil Services (Leave) Rules, 2016.

**J GANESAN, IAS
DIRECTOR SECONDARY EDUCATION,
HARYANA, PANCHKULA**

ENDST. NO. 20/118-2021 PGT-II(7) DATED, PANCHKULA THE 31-8-2021

A copy is forwarded to the following for information and necessary
action:-

1. District Education Officer, Panchkula w.r.t. his/her Memo No.
E-1/2021/3855 dated 30.07.2021.
2. Principal/Headmaster, Govt. Sr. Sec. School, Sector-6, Panchkula.
3. Official concerned.
- ✓ 4. I.T Cell.

**DY. SUPERINTENDENT PGT-II
FOR DIRECTOR SECONDARY EDUCATION,
HARYANA, PANCHKULA**



**GOVERNMENT OF HARYANA
SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
ORDER**

No. 17/81-2021 Admn. (1)

Dated, Panchkula, the 29.08.2021

The suspension orders of Sh. Subhash Sinha, Deputy Superintendent O/o Director Secondary Education Haryana, Panchkula issued vide order No. 17/81-2021 Admn. (1) dated 31.07.2021/02.08.2021 is hereby revoked and Chargesheet under Rule-7 issued vide order No. 17/81-2021 Admn.(1) dated 25.08.2021 is hereby withdrawn.

**DR. MAHAVIR SINGH, IAS
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY TO GOVERNMENT
HARYANA
SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT**


OFFICE OF DIRECTOR SECONDARY EDUCATION HARYANA, PANCHKULA

Endst.No. Even

Dated, Panchkula, the 29-08-2021


A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The Principal Accountant General (A&E), Haryana, Chandigarh.
2. Secy./ACSSE.
3. PS/DGHE.
4. PS/DSE.
5. PA/Additional Director Model Sanksriti Schools.
6. PA/Additional Director Admn.-I & II.
7. PA/Additional Director (Academic).
8. Superintendent Accounts Branch (Local).
9. Superintendent Pension-I Branch (Sec.).
10. Sh. Subhash Sinha, Deputy Superintendent O/o Director Secondary Education Haryana, Panchkula.
- ✓ 11. IT Cell (HQ).


SUPERINTENDENT ADMN.
**for DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA PANCHKULA**



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Directorate School Education
 विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

ORDER No. 4/42-2021 HRME-I (4)

DATED, PANCHKULA: 26.08.2021

The following official is hereby transferred/adjusted with immediate effect:-

Sr. No.	Name, Designation	Present Place of Posting	Transfer/Adjusted	Remarks
1.	Sh. Purshotam Sharma [054460] Statistical Assistant	O/o DEO [4607], Kurukshetra	O/o DEO Kaithal [4092]	A/V

Terms and conditions:-

- The official will be relieved immediately and in any case within 3 days failing which he/she will be liable for disciplinary action.
- No TA/DA and joining time will be admissible to the official if he/she has been shifted on his/her request after exercising option.
- If there is no vacancy in the destination school for any reason the incumbent transferred shall re-join his/her previous place of posting and also inform to concerned branch/computer cell at HQ.

If any discrepancy is noticed in this order or there is a violation of transfer policy, It should be brought to the notice of Computer Cell/Concerned branch within three days and the order be not implemented.

- The condition that official has not been joined previous transfer place of posting is implemented on Cancellation Order.
- The official will update his profile in MIS Portal when he/she join/relieve from his present working station and also supply the information to the Directorate.
- Concerned DDO is also requested to update and approved MIS data of the official at your own level.

VIVEK KALIA
ADDITIONAL DIRECTOR ADMN-II
O/O DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA
DATED PANCHKULA, 27.08.21

ENDST. No. Even

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

- DEO Kurukshetra [4607]
- DEO Kaithal [4092].
- Head of the institution concerned.
- Official concerned.
- Secy. OSD/CM.
- Sr. PS/E.M.
- Sr. PS/ACSSE.
- PS/DSE.
- IT Cell.
- Data Entry Operator (HRME Branch) he is requested to update the data of the concerned official on the website/MIS Portal please.


Stake H
By SUPERINTENDENT HRME-I
FOR DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा में,

Principal GSSS-Babyal[11], Ambala
Principal GSSS-Shahzadpur[40], Ambala
Principal GSSS-Shahzadpur[40], Ambala
Principal GSSS-Shahzadpur[40], Ambala
Principal GSSS-Jansui[82], Ambala
Principal GSSS-Jansui[82], Ambala
Principal GSSS-Sardaheri[151], Ambala

यादी क्रमांक 2/79-2021 works (1) Group: 362
दिनांक पंचकुला 27-08-2021

विषय **Revalidation sanction under माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2021-22 (Recurring /Non-Recurring).**

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 12.04.2021 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/79-2021 Works (1) दिनांक 12.05.2021 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 10000.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Babyal (Ambala) [11]	Repair of Room White wash	150450.00
2 GSSS Shahzadpur (Ambala) [40]	Construction/repair of urinals and toilets (Balance amount)	1122939.00
3 GSSS Shahzadpur (Ambala) [40]	Minor repair of school building (Balance amount)	305845.00
4 GSSS Shahzadpur (Ambala) [40]	Major repair of school building	2000000.00
5 GSSS Jansui (Ambala) [82]	Construction of 2 Lab with Vernda	1830000.00
6 GSSS Jansui (Ambala) [82]	Separate Girls toilet's	265000.00
7 GSSS Sardaheri (Ambala) [151]	Construction of Cycle Stand	1570000.00
	कुल राशि	7244234.00

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य ब्लोक निर्माण विभाग के स्पैशिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढ़ता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों के भवनो के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।

5 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring/Recurring) 2021-22 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

Sd/
उप अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।

पृष्ठांकन क्रमांक 2/79-2021 works (1)

दिनांक, पंचकूला:- 27.8.21

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, अम्बाला को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त अम्बाला
- 3 जिला खजाना अधिकारी अम्बाला
- 4 उप खजाना अधिकारी, अम्बाला कैंट/बराड़ा/नारायणगढ़/मुलाना//
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 12.04.2021 के संदर्भ में।
- 6 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
- 7 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित करने का कष्ट करे।
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
- 11 इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।


Sanjeev Kumar
उप अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



Lead me from Darkness to Light

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे,

Principal GSSS-Raksera[2060], Panipat
 Principal GSSS-Bursham[2080], Panipat
 Principal GSSS-Bursham[2080], Panipat
 Principal GSSS-Jhattipur[2096], Panipat
 Principal GGSSS-Naultha[2111], Panipat
 Principal GGSSS-Israna[2113], Panipat
 Principal GSSS-Mandi[2115], Panipat
 Principal GSSS-Ahar[2116], Panipat
 Principal GSSS-Sanauli Khurd[2121], Panipat
 Principal GMSSSS-Panipat (G T Road)[2130], Panipat
 Head Master GGHS-Kurana[2138], Panipat
 Principal GSSS-Panipat (Tehsil Camp)[2139], Panipat
 Head Master GGHS-Kawi[4657], Panipat
 Head Master GGHS-Kawi[4657], Panipat
 Principal GSSS-Pattharagarh[5631], Panipat
 Head of Institution DEEO-Panipat[6846], Panipat

यादी क्रमांक 2/79-2021 works (1) Group: 363
 दिनांक पंचकुला 27-08-2021

विषय

Revalidation sanction under माईनर वर्क्स ग्रांट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ वर्नमैट स्कूलज वर्ष 2021-22 (Recurring /Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 12.04.2021 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/79-2021 Works (1) दिनांक 12.05.2021 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 10000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Raksera (Panipat) [2060]	Const. of MP Hall inb RCC Column and Beam	1608000.00
2 GSSS Bursham (Panipat) [2080]	Repair of Room, Toilet Set & const. of water tank.	875000.00
3 GSSS Bursham (Panipat) [2080]	Const. of 03 Room & Repair of Tile Terracing	86000.00
4 GSSS Jhattipur (Panipat) [2096]	Flooring & Tile Terracing & Boundary wall, Main Gate	759081.00
5 GGSSS Naultha (Panipat) [2111]	Completion of Rooms	315900.00
6 GGSSS Israna (Panipat) [2113]	Const. of 02 Room & Repair of Tile Terracing	573000.00
7 GSSS Mandi (Panipat) [2115]	Completion of Rooms	732900.00
8 GSSS Ahar (Panipat) [2116]	Repair of Building	1934500.00
9 GSSS Sanauli Khurd (Panipat) [2121]	Completion of Rooms	165400.00
10 GMSSSS Panipat (G T Road) (Panipat) [2130]	Interlocking Tile Path	263000.00
11 GGHS Kurana (Panipat) [2138]	Completion of Rooms	358700.00
12 GSSS Panipat (Tehsil Camp) (Panipat) [2139]	Flooring & Tile Terracing	423545.00
13 GGHS Kawi (Panipat) [4657]	Const. of Cycle Stand	1542000.00
14 GGHS Kawi (Panipat) [4657]	Const. of Kitchen Shed	604000.00

15 GSSS Pattharagarh (Panipat) [5631]
16 DEEO Panipat (Panipat) [6846]

RCC Column 1999000.00
Completion of Rooms 170000.00
कुल राशि 12410026.00

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों के भवनो के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring/Recurring) 2021-22 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

उप अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला

पृष्ठांकन क्रमांक 2/79-2021 works (1)

दिनांक, पंचकुला:- 27.8.2021

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, पानीपत को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त पानीपत
- 3 जिला खजाना अधिकारी पानीपत
- 4 उप खजाना अधिकारी, समालखा/इसराना/बापोली/मडलोडा/ / /
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 12.04.2021 के संदर्भ में।
- 6 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
- 7 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित करने का कष्ट करे।

10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

11 इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।


उप अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा में,

Principal GSSS-Behal[350], Bhiwani
Principal GSSS-Gignou[362], Bhiwani
Principal GGSSS-Kungar[410], Bhiwani

यादी क्रमांक 2/79-2021 works (1) Group: 361
दिनांक पंचकुला 27-08-2021

विषय Revalidation sanction under माईनर वर्क्स ग्रांट स्पैशाल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ वर्नमैट स्कूलज वर्ष 2021-22 (Recurring /Non-Recurring) .

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 12.04.2021 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/79-2021 Works (1) दिनांक 12.05.2021 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 10000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Behal (Bhiwani) [350]	Construction of Vernda and Boys Tiole at 1st floor	838000.00
2 GSSS Gignou (Bhiwani) [362]	Repair of maintanance	1990400.00
3 GGSSS Kungar (Bhiwani) [410]	Construction of 4 Class rooms with Vermda	1897000.00
	कुल राशि	4725400.00

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुर्म्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों के भवनो के निर्माण/मुर्म्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring/Recurring) 2021-22 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

उप अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, भिवानी को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त भिवानी
- 3 जिला खजाना अधिकारी भिवानी
- 4 उप खजाना अधिकारी, लोहारू/सिवानी/बवानी खेड़ा/तोशाम///
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 12.04.2021 के संदर्भ में।
- 6 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
- 7 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित करने का कष्ट करें।
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
- 11 इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।

S. S. S. S.
उप अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।